मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 99/2022
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

विमला पत्नी जयदेव जाति जाट साकिन चक 12 एमजेडी पिलानियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
रोशनी पत्नी घनश्याम जाति जाट साकिन चक 12 एमजेडी पिलानियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

जसवन्ती पत्नी दयाराम जाति जाट मकान 457 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा हनुमानगढ़ जं.
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :–21.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ...रे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड प्रथम वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री खुशप्रीत सिह सन्धू मिन जानिब ...ायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक ...न्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:–

चक 6 डीएलपी के खाता संख्या 23/24 में कुल रकबा 8.312 है. मौके पर कब्जा की भूमि :–

1. विमलादेवी पत्नी जयदेव 2359/8312 हि रोशनी पत्नी घनश्याम 295/1039 हि जाति जाट सा. पिलानियावली ढाणी राहिन एचडीएफसी बैक शाखा हनुमानगढ़।

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
133/190	1	7/0.013 है. 8/0.051 है. 9/0.076 है. 10/0.101 है. 11,12,13,14/0.253 है.प्र. 15/0.228 है. 16 ता 25/0.253 है.प्र.
134/190	2	11/0.202 है. 20,21/0.253 है.प्र. कुल 4.719 है.नहरी

2. जसवन्ती पत्नी दयाराम 3593/8312 हि जाति जाट सा. मकान न. 457 विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर

पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
134/190	2	12/0.177 है. 13/0.139 है. 14/!0.1014 है. 15/0.076 है. 16 ता 19/0.253 है.प्र. 22 ता 25/0.253 है.प्र.
135/190	3	11/0.051 है. 12/0.013 है. 19 ता 22/0.253 है.प्र. कुल 3.593 है नहरी

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/2720 दिनांक 18.07.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज ✗ मुव्लिक ✗ बाबत 150/- खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ✗ को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.4.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner